संख्या 780/चौवालिस-2-49-87

प्रेषक,

श्री प्रेम शंकर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित
   प्रशासकीय विभागों के सचिव/विशेष सचिव।
2. प्रमुख सचिव, वित्त
   उत्तर प्रदेश शासन।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2

लखनऊः दिनांकः 8 अगस्त, 1989

विषयः— उत्तर प्रदेश कराधान समीक्षा समिति द्वारा की गई संस्तुतियों पर कार्यवाही।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में घाटे के कारणों का पता लगाने तथा हानि में चलने वाले निगमों को लाभ पर लाने के उद्देश्य से श्री टी०एस० पपोला की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कराधान समीक्षा समिति का गठन किया गया था। समिति ने कतिपय उपक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय कार्यकलापों का अध्ययन कर अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें घाटे की हो रही बढ़ोत्तरी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिति में सुधार लाने हेतु कुछ संस्तुतियां की है। समिति की संस्तुतियां तथा उन संस्तुतियों के सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

2. आपसे अनुरोध है कि आप कृपया अपने अधीन सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही कराने तथा कृत कार्यवाही से यथासमय इस विभाग को सूचित करने का कष्ट करें ताकि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को सुदृढ़ करने तथा उनकी लाभदायिकता में सुधार लाया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
[प्रेम शंकर]
संयुक्त सचिव।

संख्या 780 (1)/44-2/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।
(2) वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,
[आर०एन० सिन्हा]
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश कराधान समिति की संस्तुतियां तथा उनके सम्बन्ध में प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण:–

संस्तुति	प्रस्तावित कार्यवाही
1- योजना आयोग भारत सरकार द्वारा नियत दर से प्रत्येक निगम में विनियोजित शासकीय ऋण पर 6 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष ब्याज तथा अंश पूंजी पर वित्तीय उपक्रमों से 3 प्रतिशत तथा अन्य सभी उपक्रमों से 5 प्रतिशत लाभांश देना चाहिए।	समिति की इस संस्तुति के सम्बन्ध में प्रशासनिक विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किये जाने चाहिए कि लाभ अर्जित करने वाले उद्यम नियमित रूप से लाभांश घोषित करें तथा ऋण लेने वाले निगम नियमित ब्याज का भुगतान निर्धारित दर पर करें।
2- प्रशासनिक विभागों को ऋण पर ब्याज तथा लाभांश के लिए उत्तरदायी बनाया जाय।	प्रशासनिक विभाग शासन की ऋणों की देय तिथि पर वापसी तथा देय ब्याज का भुगतान एवं लाभांश की घोषणा सुनिश्चित करें।
3- निगम के स्तर पर सभी भौतिक, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों का पूर्ण क्षमता उपयोग सुनिश्चित किया जाना।	इस सम्बन्ध में सभी उद्यमों का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रशासनिक विभाग इस सम्बन्ध में अनुसरण करें। नियत मानकों के आधार पर उत्पादन, बिक्री, शुद्ध लाभ, वित्तीय अनुशासन तथा रोजगार सृजन के लिए पुरस्कार योजना प्रारम्भ की जानी चाहिए। पुरस्कार योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव सलाहकार समिति के निर्णयार्थ बनाया जाय जिसके उपरान्त उद्यमों को भेजा जाना चाहिए।
4- संस्थागत वित्त का प्रयोग।	राज्य सरकार के सीमित एवं दुर्लभ संसाधनों पर निर्भर न रहकर केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों से कार्यशील पूंजी प्राप्त की जानी चाहिए।
5- राज्य सरकार द्वारा विकास कार्यों को निगमों को न सौपा जाय तथा विकास कार्यों के व्यय का लेखा जोखा, पृथक रखना।	यद्यपि यह सम्भव नहीं होगा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विकास कार्य निगमों द्वारा न किये जायं, किन्तु यह अवश्य सम्भव है कि विकास कार्यों के संचालन में होने वाले व्यय का लेखा निगम के स्तर पर पृथक से रखा जाय।
6- पर्वतीय क्षेत्र के मण्डलीय निगमों को छोड़कर मैदानी क्षेत्र के निगमों को बन्द किया जाय।	प्रदेश में क्षेत्रीय विकास की सम्भावनाओं तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि मण्डलीय विकास निगमों को उचित होगा कि मण्डलीय विकास निगमों को उचित प्रबन्धकीय सहायता प्रदान कर प्रशासनिक विभाग अपने समुचित नियंत्रण में संचालित करें। इससे अब तक जो इन्फ्रास्ट्रक्चस सृजित हुआ है उसका प्रयोग भी हो सकता है, किन्तु इसके लिए क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर पर दृढ़ संकल्प एवं कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है।
7-1 निगम की पूंजी ऋण एवं अनुदान देने के पूर्व सार्वजनिक उद्यम विभाग की संस्तुति प्राप्त करना।	इस सम्बन्ध में रिलीज आफ फण्ड के बारे में तत्कालीन विशेष सचिव, श्री नृपेन्द्र मिश्र द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार ब्यूरो के परामर्श मे बनाये गये रूप पत्रों से उद्यमों से सूचना प्रत्येक धन की मांग के साथ आमंत्रित की जानी चाहिए तथा प्रस्ताव का परीक्षण करने के लिए वित्त विभाग के स्तर से प्रस्ताव ब्यूरो के माध्यम से भेजना चाहिए।
7-2 रूपये 10 करोड़ से अधिक शासकीय विनियोग वाले निगमों की वास्तविक समीक्षा हेतु एक समिति का गठन किया जाना।	सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उद्यमों के अनुश्रवण के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें सदस्य के रूप में सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग सहित उद्योग, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं वित्त विभाग के सचिव होने चाहिए। समिति द्वारा प्रत्येक उद्यम की एक बार गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए जिससे समस्याओं का निराकरण किया जा सके। इसमें रूपये 10 करोड़ से अधिक पूंजी के उपक्रम जिनकी संख्या 17 है, पर विशेष ध्यान देना चाहिए और समिति द्वारा समीक्षा सभी उद्यमों की जानी चाहिए।
7-3 योजनाओं में अनुदान की समीक्षा एक वर्ष के अन्तराल पर करके जारी रखने अथवा बन्द करने का निर्णय लिया जाय।	अनुदान योजनाएं शासन के विभिन्न आर्थिक समाजिक नीति के अंग के रूप में होती है, जिनकी समीक्षा तथा मूल्यांकन का कार्य करने के लिए राज्य नियोजन संस्थान में मूल्यांकन प्रभाग के साथ ही प्रशासनिक विभागों की अपनी व्यवस्था है।